International Journal of Engineering Research & Management Technology
ISSN: 2348-4039
May-June-2018 Volume 5, Issue-3
Email: editor@ijermt.org www.ijermt.org

महात्मा गांधी नरेगा और महिला सशक्तिकरण : एक विश्लेषण

डा0 वीरेन्द्र कुमार

सहायक आचार्य

समाजशास्त्र विभाग

ए0 एस0 बी0 डी0 मेमोरियल डिग्री कॉलेज, हरदोई

सरांश

महिला सशक्तिकरण की बात करने से पूर्व सुदूर आसाम के गांव की महिला का वह दृश्य मेरे सामने तेजी से घूम जाता है जब वह अपनी फटी हुयी साड़ी में आधे तन को ढकती है तो आधी साड़ी को तालाब के गंदे पानी में धोती है। वह दृश्य किसी भी सामान्य संवेदनशील व्यक्ति को अन्दर तक झकझोर देती है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति का नमूना भी पेश करती है। यह सच है कि आज के वैश्विक युग में महिलाएं अधिक स्वावलम्बी हुई हैं। उनमें आत्म विश्वास और मनोबल भी बढ़ा है। अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं। लेकिन महिलाओं में आर्थिक लहर अधिकतर शहरों में ही देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण महिलायें कामकाजी नहीं हैं परन्तु फिर भी वे आत्मनिर्भर नहीं है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक विकास की मुख्यधारा में जोड़ना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता थी जिसे मनरेगा द्वारा पूरा करने का प्रयास किया गया है। मनरेगा में उनकी नई भूमिकाओं ने वास्तव में ग्रामीण महिलाओं के थके हारे चेहरों पर आत्मनिर्भरता की नई चमक बिखरने का काम किया है। विश्व में भारत प्रथम देश है जिसने रोजगार को कानूनी अधिकार का दर्जा देते हुए अप्रैल 2008 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना सम्पूर्ण देश में क्रियान्वित करने का साहसिक कदम उठाया। इस योजना में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की भी व्यवस्था की गयी। यही नहीं इन महिला मजदूरों के साथ कार्यस्थल पर आने वाले छः वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की निगरानी व देखभाल की व्यवस्था भी इस योजना में की गई। पुरूष व महिला मजदूरों के वेतन में समानता के सिद्धान्त को व्यावहारिक तौर पर अपनाने के दिशा निर्देश इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषता है। निःसन्देह रूप से, इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार उपलब्ध होने पर उनमें स्वाभिमान व आत्म विश्वास बढ़ा है तथा वे महिला सशक्तीकरण की दिशा में कदम बढ़ा रहीं हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में महिला सशक्तीकरण के विभिन्न पक्षों के साथ ही महिलाओं के स्वावलम्बी बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मनरेगा की भूमिका का गहनता से विश्लेषण करता है। साथ ही यह शोध पत्र मनरेगा का महिलाओं पर शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सकरात्मक तथा व्यावहारिक प्रभाव को आंकने का प्रयास भी है। इसके अतिरिक्त महिलाओं का शहरों की ओर पलायन रोकने, निर्धनत निवारण और पर्यावरण संरक्षण में मनरेगा की भूमिका का सीमित रेखांकित भी प्रस्तुत करता है।

प्रस्तावनाः

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था " यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जायेगा" । यह सच है कि महिलायें परिवार, समाज, व देश की प्रगति की नींव हैं। नींव को सशक्त व मजबूत बनाये जाने पर ही सुदृढ़, विशाल एवं भव्य इमारत की सपना को साकार किया जा सकता है। महिला को शक्ति स्वरूपा नारायणी बनाकर महज मूर्ति एवं चित्रों में पूजा मत करिए बल्कि समाज में रह रही उस जीवन्त स्त्री को अपने सशक्तीकरण के लिए संकल्पित होने दीजिए। और कन्धे से कन्धा

मिलाकर चलिए परन्तु ईमानदारी से। नीयत में, सोच में, दृष्टि में जो खोट है उसे निकाल फेंकिए। विकास के आयाम में जो भी पहलू है उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें और परिणाम आने तक द्वेष नहीं बल्कि धैर्य अपनायें।

भारत में आमतौर पर महिलाएँ आर्थिक रूप से बुरी तरह पिछड़ी हुई है। उनके शारीरिक श्रम की कोई मान्यता नहीं है, न ही उन्हें उक्त श्रम का कोई आर्थिक अधिकार प्राप्त होता है। महिलाओं को आर्थिक अधिकार उनका मानवीय अधिकार है। महिलाएँ आबादी का आधा हिस्सा होती है वे काम की कुल अवधि का दो तिहाई अवधि काम करती हैं, लेकिन वे विश्व की कुल आय का मात्र दसवाँ हिस्सा प्राप्त करती है। उक्त तथ्य महिलाओं के भीषण आर्थिक शोषण को उजागर करता है। महिलाओं को उनके बुनियादी आर्थिक अधिकार तथा सम्मानजनक जीवन तब तक नहीं मिल सकेगा, जब तक कि हमारे समाज की मानसिकता में परिवर्तन न हो और महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष दर्जा प्राप्त न हो (कीर्तने, 2012:236)।

महिला सशक्तिकरण का नाम कर्णपटल पर सुनाई देते ही एक बात जेहन में बिजली की तरह कौंध जाती है और मानस पटल पर उभरा प्रश्न वाचक चिन्ह मस्तिष्क से यह प्रश्न करने लगता है कि आखिर यह ''महिला सशक्तिकरण'' है क्या? वास्तव में यदि विचार किया जाए तो महिला सशक्तिकरण का सामान्य सा अर्थ है– महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना। परन्तु व्यापकता में इसका अर्थ बड़ा ही गूढ़ है। सशक्तिकरण के संदर्भ में यह जानना अति आवश्यक है कि सशक्तिकरण के वास्तविक सूचक या संकेत क्या होने चाहिए जिससे यह पता चल सके कि उस दिशा में किया गया कार्य किस सीमा तक प्रभावी हुआ है। सशक्तिकरण के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को सशक्त नहीं करता। विकास के सन्दर्भ में इस शब्द के प्रयोग का अर्थ गरीब एवं अभिवंचित वर्ग द्वारा अपने स्वतंत्र प्रयासों से अपने को सशक्त करना है, वहीं सशक्तिकरण की प्रक्रिया व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी। व्यक्ति के समूह से जुड़ाव के कारण उसकी जानकारी एवं ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सशक्तिकरण की प्रक्रिया सहभागिता पर आधारित होती है (शर्मा एवं झा, 2008:45)। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अधिकार देने व उनके परिवार समुदाय समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्ता से है (सेट्टी एवं मूर्ति, 2001:80–81)। सही मायने में देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला को आत्म–सम्मान देना और आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वे अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकें (कुमार, 2013:30)।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ है महिला सम्बन्धी समस्याओं की पूरी जानकारी के लिए उनकी योग्यता व कौशल में वृद्धि कर सामाजिक एवं संस्थागत अवरोधों को दूर करने का अवसर प्रदान करना, साथ ही आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा देना, ताकि वे अपने जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार ला सकें (चौधरी, 2013:8)। महिला सशक्तीकरण के प्रमुख लक्षण हैं– शिक्षा, सामाजिक असमानता और स्थिति, बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक अथवा वित्तीय सुदृढ़ता और राजनीतिक सहभागिता (कुमार, 2013:22)।

महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई विकास तथा रोजगार परक योजनायें चलायी गयीं। इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। परन्तु आजादी के छः दशक बाद भी महिलाओं को उनके निवास स्थान के नजदीक रोजगार उपलब्ध करा पाने में अक्षम भारत जैसे प्रजातांत्रिक एवं लोककल्याणकारी राज्य के लिए परिस्थितियां शर्मनाक थीं। अतः सरकार एवं अनेग गैर सरकारी सामाजिक संगठनों के मध्य अनेक स्तरों पर विस्तृत विचार–विमर्श के समुद्र मंथन से मनरेगा जैसा अमृत कलश निकलकर आया। मनरेगा ने जहाँ महिलाओं को रोजगार मिला वहीं पैसा हाथ में आने से महिलाओं की क्रयशक्ति भी बढ़ी और परिवार में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गयी।

सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाये गये। इनके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण वर्ष–2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु दो विशेष योजनायें– महिला स्वाधार योजना एवं महिला स्वयंसिद्धा योजना प्रारम्भ की गईं। इसी वर्ष कुछ अन्य रोजगार योजनाएं भी प्रारम्भ की गई, जैसे कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना आदि।

विश्व की सबसे बड़ी तथा महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में आरंभ की गई। लागू होने के 6 वर्ष के भीतर इस योजना ने वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदल डाली है। वर्ष 2010–11 के दौरान इस योजना के तहत 5.49 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला है। इस योजना के द्वारा अब तक करीब 1200 करोड़ रोजगार दिवस का कार्य हुआ है। ग्रामीणों के बीच 1,10,000 करोड़ रुपये की मजदूरी वितरित की जा चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक प्रति वर्ष औसतन एक–चौथाई परिवारों ने इस योजना से लाभ लिया है। यह योजना सामाजिक समावेशन की दिशा में बेहतर सिद्ध हुई है। मनरेगा के द्वारा कुल कामों के 51 प्रतिशत कामों में अनुसूचित जाति व जनजाति तथा 47 प्रतिशत महिलाओं को शामिल किया गया। मनरेगा में प्रति अकुशल मजदूर को 180 रुपये दिये जाते हैं। इसका प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा है। निजी कार्यों के लिए भी पारंपरिक मजदूरी जोकि अपेक्षाकृत काफी कम थी, इसके प्रभाव स्वरूप बढ़ गई है (कुमार, 2013:4)।

रोजगार गारण्टी योजना एक ऐसी योजना है, जिसमें सार्वजनिक कार्यों के एवज में आर्थिक लाभ को सीधे गरीबों तक पहुँचाया जाता है। ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनाओं के आरम्भिक अध्ययन इन योजनाओं की मौसमी कृषि के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण मजदूरों को नियमित आय की उपलब्धता (बासु, 2007), स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण (बासु, चाउ एण्ड कुंबर 2005), रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन (ड्रेज एवं खेरा 2009:4) आदि में भूमिका से सम्बन्धित थे।

महात्मा गांधी–नरेगा का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त रोजगार प्रदान करना है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों। महात्मा गांधी नरेगा की उपयोगिता में वृद्धि हेतु अधिनियम के विशिष्ट पहलुओं में अन्य बातों के साथ–साथ ये शामिल हैं– समयबद्ध रोजगार गारंटी तथा 15 दिन में मजदूरी का भुगतान, मांग के अनुसार रोजगार प्रदान करने या प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन–हतोत्साहन संबंधी स्वरूप, ठेकेदारों एवं मशीनरी का उपयोग न करके श्रम आधारित कार्यों पर बल,

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी सामुदायिक, सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना एवं परिसम्पत्तियों का सृजन आदि। साथ ही अधिनियम में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी का भी प्रावधान है (भारत सरकार, 2010:ग्प)।

गैरी रोजर (2009) ने नरेगा के उद्देश्यों के दृष्टिगत इसको रोजगार की गुणवत्ता और कार्यों की उत्पादकता की स्थिति से तुलनात्मक विश्लेषण करने का विरोध करते हुए कहा है कि रोजगार की गारण्टी देने जैसी किसी भी योजना को उसके द्वारा निष्पादित कार्यों की उत्पादकता और रोजगार की गुणवत्ता से जोड़ने पर योजना के मूल उद्देश्य को हानि पहुँचती है।

अधिनियम में व्यापक संभावनाएं अन्तर्निहित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरी रोजगार को बढ़ाना है। अधिनियम में सुझाए गए कार्यों के माध्यम से सूखा, वनों की कटाई एवं मृदा क्षरण जैसे अत्यधिक निर्धनता के कारणों के समाधान की व्यवस्था है ताकि रोजगार सृजन की प्रक्रिया को सतत आधार पर बनाए रखा जा सके। अधिनियम स्थानीय शासन निकायों अर्थात पंचायतीराज संस्थाओं को महत्व देकर विकेन्द्रीकरण एवं प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है (भारत सरकार, 2012:2–3)।

ज्याँ ड्रेज (2004) का कहना है कि नरेगा से लोगों को बहुत अधिक अपेक्षाएँ हैं। लोगों का मानना है कि इससे ग्रामीणों की गरीबी और भुखमरी खत्म होगी, शहरों की ओर पलायन रुकेगा, ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण, ग्रामीण शक्ति संरचना में समानता एवं पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण होगा।

अविजीत (2006) ने अपने अध्ययन में पाया कि राजस्थान के डूँगरपुर जिले में महिलाओं की नरेगा में सहभागिता बहुत अधिक (90 प्रतिशत) है। महिला श्रमबल की भागीदारी का वर्द्धित अनुपात 2008 के मार्च से 2009 के अप्रैल तक 41 प्रतिशत रहा। यह भागीदारी 2009 के अप्रैल से 2010 की फरवरी तक की अवधि में बढ़कर 42.18 प्रतिशत हो गई। तमिलनाडु में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत सर्वाधिक (82 प्रतिशत) रहा।

राजस्थान में तो महिलाओं की भागीदारी 70 प्रतिशत रही है। मनरेगा के माध्यम से महिलाओं के हाथों में पहुँचे धन तथा अनाज से "मानव विकास सूचकांक" में आशाजनक वृद्धि हुई है। सर्वेक्षणों से सामने आया है कि मनरेगा में मजदूरी प्राप्त कर रही महिलाओं ने अपनी आजीविका को पशु खरीदने, उनका उपचार कराने, बच्चों की पढ़ाई, रोगोपचार, पेयजल, पौष्टिक भोजन, बर्तनों तथा वर्षों से बची रही किसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति में लगाया है (कटारिया, 2009:10)।

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम में महिलाओं के लिए प्रावधानः

अरस्तू कहते हैं कि "किसी भी राष्ट्र की उन्नति या अवनति स्त्रियों पर ही निर्भर है।" राष्ट्र राज्य व क्षेत्र का विकास उसकी उपलब्धता, मानवशक्ति की कार्य क्षमता, सामर्थ्य, गुणवत्ता एवं शिक्षा आदि बातों पर निर्भर करता है। महिलाएं किसी भी राष्ट्र का विशिष्ट मानव संसाधन है। वर्तमान में महिलाओं का राष्ट्रीय विकास में योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टिकोण से क्रियाशील जनसंख्या की मुख्यधारा में शामिल करते हुये मनरेगा में उनके लिए विशेष कुछ प्रावधान किए गयें।

रोजगार उपलब्ध कराते समय, महिलाओं को इस तरह प्राथमिकता दी गयी है ताकि योजना (महात्मा गांधी नरेगा, अनुसूची–प्प पैरा 6) के तहत कार्य के लिए आवेदन देने वाले तथा पंजीकृत लाभार्थियों में से कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं हों।

महात्मा गांधी नरेगा के लक्ष्यों में अधिकार आधारित कानूनी प्रक्रिया के जरिए सामाजिक रूप से लाभवंचित, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार संपन्न बनाना सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा हेतु जारी दिशा–निर्देशों (2013) में महिलाओं के निम्नलिखित विशेष प्रावधान निहित हैं–

- पुरुष तथा महिलाओं को समान भुगतान होना चाहिए।
- निवास स्थान के निकट के कार्यस्थलों पर कार्य देने में महिलाओं (विशेषकर एकल महिलाओं) और वृद्ध व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक मेट या कार्यस्थल पर्यवेक्षक की जरूरत होती है। प्रत्येक 30 श्रमिकों के लिए कम से कम एक मेट होना चाहिए। भली–भांति प्रचारित पारदर्शी मानदण्ड के आधार पर मेटों का चयन किया जाना चाहिए। मेटों के लिए चयन मानदण्ड बनाते समय, सबसे अधिक जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को तरजीह दी जानी चाहिए।
- मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण प्रभाग की प्रमुख जिम्मेदारियों में जमीनी स्तर पर महिलाओं के प्रति संवेदनशील, अतिनिर्धन और अति–सक्रिय कार्य–संस्कृति को व्यापक रूप से बढ़ावा देना सम्मिलित है।
- सभी स्तरों पर मनरेगा स्टॉफ की भर्ती नीति में पर्याप्त रूप में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांगों आदि का प्रतिनिधित्व रखा गया है।
- इसके साथ–साथ महात्मा गांधी नरेगा के दिशा–निर्देश में यह भी उल्लिखित है कि यदि किसी कार्य स्थल पर कार्यरत महिलाओं के साथ 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 5 या उससे अधिक है तो वहाँ एक क्रैच की व्यवस्था करना अपेक्षित होगा। उनमें किसी एक महिला कामगार को ऐसे बच्चों की देखभाल करने के लिए आया के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उसे अकुशल कामगार को भुगतान की गई मौजूदा मजदूरी दर के बराबर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। इस खर्च को अलग से दर्ज किया जाएगा।
- जागरुकता और पहुँच के लिए विशेष कार्यकलाप किए जाएंगे ताकि महिलाओं सहित सभी कामगार बैंक प्रक्रिया करना सीख जाएं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ वे बैंकिंग प्रणाली के बारे में परिचित नहीं हैं।
- विधवा महिलाएं, परित्यक्त महिलाएं और गरीब महिलाएं अत्यधिक संवदेनशील होती हैं और उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत को ऐसी महिलाओं की पहचान करने चाहिए और उन्हें 100 दिन का कार्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और स्तन पान कराने वाली माताओं (कम से कम प्रसव से 8 महीने पहले और प्रसव के 10 महीने बाद तक) को भी एक विशेष श्रेणी में समझा जाना चाहिए। उनके लिए ऐसे विशेष कार्यों की पहचान और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए जिनमें प्रयास कम करने पड़ते हो और उनके आवास के नजदीक हों।

- स्थानीय स्तर पर सतर्कता और निगरानी समिति को सुनिश्चित तथा यथोचित सेवा क्षेत्र दिए जाने चाहिए। आदर्शतः इसमें लगभग दस सदस्य होंगे इसमें से आधी कुल आबादी के अनुपात में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं होंगी।
- ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने को शामिल करने के उद्देश्यों में यह स्पष्ट रूप से उल्लिलिखित किया गया है कि महिलाओं को निजी और शालीन शौच सुविधाएं प्रदान करने को प्राथमिकता दी जाय।

200 जिलों में कार्यान्वयन के पहले वर्ष (वित्त वर्ष 2006–07) के दौरान 2.10 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया और 90.5 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए। वर्ष 2007–08 में 330 जिलों में 3.39 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया तथा 143.59 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए। वर्ष 2008–2009 में संपूर्ण देश में 4.51 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 216.32 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए। जबकि वर्ष 2009–10 (दिसंबर, 09 तक) के दौरान कुल 191. 16 करोड़ श्रमदिवसों का रोजगार सृजित किया गया। जबकि महिलाओं के लिए 95.56 करोड़ श्रमदिवस सृजित किए गए जो कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित कुल रोजगार का 50ः है (भारत सरकार, 2010:5)।

आज महात्मा गांधी–नरेगा सम्पूर्ण विकास का एक जरिया बना है। इस कानून के तहत समाज के कमजोर वर्गों के एक बड़े तबके को काम मिला है। वर्ष 2009–10 की वास्तविक उपलब्धियों की रिपोर्ट से पता चलता है कि 191.16 करोड़ श्रम दिवसों के कुल रोजगार सृजन में से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 57.41 करोड़ श्रम दिवस (30:) तथा 41.48 करोड़ श्रमदिवस (22:) का रोजगार सृजित किया गया। इस प्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए रोजगार के कुल 52ः श्रमदिवस सृजित किए गए। जिन राज्यों में इसमें अनुसूचित जाति की उच्च सहभागिता दर रही वे हैं– पंजाब 78 फीसदी, तमिलनाडु 58 फीसदी और उत्तर प्रदेश 54 फीसदी। जिन राज्यों में इसमें अनुसूचित जनजाति की उच्च सहभागिता दर रही, वे हैं– मिजोरम 99.8 फीसदी, मेघालय 95 फीसदी और अरुणाचल प्रदेश 90 फीसदी। इसमें महिलाओं की भागीदारी आम स्वीकृत दर 33 फीसदी से अधिक है। इस वर्ष यह दर 49 फीसदी रही (भारत सरकार, 2010:67)।

महात्मा गांधी नरेगा ने काफी संख्या में लाभार्थियों को बुनियादी आय सुरक्षा प्रदान किया है। यह योजना औसतन, हर साल लगभग 5 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान करती है। यह देश के कुल ग्रामीण परिवारों का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। शुरूआत के बाद से ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने दिसंबर, 2014 तक 1781.86 करोड़ श्रमदिवस रोजगार का सृजन किया है, जिसमें महिला श्रमदिवसों की संख्या 867.32 करोड़ है, जो कुल सृजित श्रमदिवसों का 48.67ः है। वर्ष 2006–07 से 2014–15 तक वर्षवार कुल सृजित श्रमदिवस तथा महिलाओं की हिस्सेदारी को तालिका संख्या 1 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका सं0 1 : महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत सृजित श्रमदिवस

(करोड़ में)

वित्त वर्ष	कुल श्रम दिवस	महिला श्रम दिवस	प्रतिशत
2006–07	90.50	36.40	40.22
2007–08	143.59	61.15	42.59
2008–09	216.32	103.57	47.88
2009–10	283.59	136.40	48.10
2010–11	257.15	122.74	47.73
2011–12	218.76	105.27	48.12
2012–13	230.48	118.23	51.30
2013–14	220.22	116.24	52.78
2014–15 (31 दिसम्बर 2014 तक)	121.25	67.32	55.52

स्रोत : महात्मा गांधी नरेगा की अधिकृत वेबसाइट

तालिका सं0 01 से स्पष्ट है कि वर्ष 2006–07 में कुल सृजित श्रमदिवसों में महिला श्रमदिवसों का प्रतिशत 40.22 था, जो लगातार बढ़ता हुआ 31 दिसम्बर 2014 की स्थिति के अनुसार 55.52ः हो गया।

अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों और उसके दिशानिर्देशों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को रोजगार तक समान रूप से और आसानी से पहुँच हो सके, उन्हें बेहतर कार्य परिस्थितियाँ मिलें, उन्हें पुरुषों के बराबर मजदूरी मिले और निर्णय लेने वाले निकायों में उनका प्रतिनिधित्व हो सके। वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक) महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और यह कुल सृजित व्यक्ति–दिवस में से 40 से 56 प्रतिशत के बीच हो गयी है जो 33 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम आवश्यकता से कहीं अधिक है। दरअसल, इस योजना के तहत महिलाओं की भागीदारी दर काम के सभी दर्ज रूपों में अधिक रहा है। शोध अध्ययनों से यह भी संकेत मिलता है कि महात्मा गांधी नरेगा महिलाओं के लिये कार्य के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है अन्यथा बेरोजगार या अर्द्ध–बेरोजगार बनी रहतीं।

विभिन्न अध्ययनों एवं क्षेत्र आधार पर किये गये सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भागीदारी के वर्द्धित दर और महिलाओं की मजदूरी पर बहुत बड़ी राशि खर्च किये जाने के कारण इस योजना से महिलाओं की बेहतरी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस योजना से वेतनमानों में लैंगिक समानता भी आयी है। एनएसएसओ के 66वें चरण से संकेत मिलता है कि महात्मा गांधी नरेगा ने सार्वजनिक कार्यों में परम्परागत वेतन विसंगतियों करे भी कम कर दिया है। आर्थिक संसाधनों तक पहुँच ने भी महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर अनुकूल प्रभाव डाला है। उदाहरण के लिए परिवारों में पैसे को खर्च करने के मामले में महिलाओं की बात अधिक मानी जाती है। इन महिलाओं में से वैसी महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है जो अपनी आमदनी को भूखमरी से बचने, छोटे कर्जों को चुकाने और बच्चे की स्कूली शिक्षा आदि पर खर्च करती हैं (भारत सरकार, 2012बी)।

तालिका सं0 2 : महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत सृजित श्रमदिवस

(श्रमदिवस लाख में)

राज्य	रोजगार माँगने वाले परिवार	रोजगार पाने वाले परिवार	श्रम दिवस (लाख में)		महिलाओं का प्रतिशत
			कुल	महिला	
आंध्र प्रदेश	5067891	5067891	1910.38	1116.16	58.43
अरुणाचल प्रदेश	139155	106286	22.43	7.05	31.43
असम	1097100	1005137	197.92	48.56	24.53
बिहार	1839340	1432756	525.87	179.56	34.14
छत्तीसगढ़	2439610	2058561	721.55	348.24	48.26
गुजरात	525013	428334	145.06	65.30	45.02
हरियाणा	303772	245423	78.12	32.75	41.92
हिमाचल प्रदेश	503656	435013	179.85	112.56	62.59
जम्मू और कश्मीर	497083	322254	128.01	28.63	22.36
झारखंड	993600	907552	306.86	96.06	31.31
कर्नाटक	1279992	799282	336.54	157.00	46.65
केरल	1596790	1366447	542.44	506.92	93.45
मध्य प्रदेश	2305470	1748436	507.29	209.81	41.36
महाराष्ट्र	1039311	884149	346.24	149.89	43.29
मणीपुर	378221	363501	65.30	22.65	34.68
मेघालय	321908	272125	96.63	41.63	43.08
मिजोरम	172228	170982	73.07	19.73	27.01
नागालैंड	384664	379172	81.43	21.40	26.29
ओडीशा	1573861	1323502	410.40	135.33	32.97
पंजाब	329345	261029	65.76	34.84	52.98
राजस्थान	3475719	2950179	1161.33	781.20	67.27
सिक्किम	58465	50166	19.80	9.11	46.01
तमिलनाडु	5956529	5919370	2867.84	2409.10	84.00
त्रिपुरा	595427	585556	318.57	151.33	47.50
उत्तर प्रदेश	5151416	4474138	1383.76	306.51	22.15

उत्तराखण्ड़	265196	250203	79.78	33.20	41.61
पश्चिम बंगाल	5410360	4267334	896.09	300.44	33.53
अं व नि द्वीपसमूह	11650	10998	3.57	1.62	45.46
गोवा	3110	3052	0.52	0.38	73.38
लक्षद्वीप	794	499	0.10	0.03	27.35
पुडुचेरी	42527	37128	7.10	6.07	85.52
कुल	**43759203**	**38126455**	**13479.60**	**7333.06**	**54.40**

तालिका सं0 2 से स्पष्ट होता है कि कुल 4.38 करोड़ परिवारों ने महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत रोजगार की माँग की है, जिनमें से 3.81 करोड़ परिवारों को 134.8 करोड़ श्रमदिवस रोजगार प्रदान किया गया, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 54.4 था।

वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक) 1,83,013 करोड़ रुपये मजदूरी पर खर्च किये गये। यह रकम कुल खर्च का लगभग 67 प्रतिशत है। योजना की अधिसूचित मजदूरी में सभी राज्यों में 2006 के बाद से वृद्धि हुई है। प्रति लाभार्थी अर्जित औसत वेतन 2006 में 65 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन से बढ़कर 2014 में 132 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन हो गया।

निष्कर्षः

किसी भी राष्ट्र की परम्परा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं से परिलक्षित होती है। महिलायें समाज की रचनात्मक शक्ति होती है। आने वाले कल को सुधारने के लिए हमें आज की महिला की स्थिति में सुधार लाना होगा। इसके लिए हमें रूढ़िवादी दृष्टिकोण से उबरकर एक नया विकासवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें यह ध्यान रखना होगा कि महिलाओं में अपार क्षमता निहित है, इन्हें सबल और सशक्त बनाकर हम देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ बना सकते हैं।

देश की खुशहाली व समृद्धि का रास्ता महिलाओं से होकर गुजरता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये महिलाओं के विकास, खुशहाली व समृद्धि के लिए व्यापक सशक्तिकरण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ईमानदारी, पारदर्शी व प्रभावी ढ़ग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मनरेगा द्वारा ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं के योगदान को दृष्टिगत रखते हुये ऐसी योजनाओं व कार्यक्रमों को संचालित किया जाना अपेक्षित है। जिससे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उत्पादकता, कौशल व दक्षता में अभिवृद्धि संभव हो सकें। जिससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी होगी तथा वे निर्धनता के दुष्चक्र से मुक्त हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि गरीबी की सर्वाधिक मार महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। इसलिए मनरेगा जैसे कार्यक्रम अपरोक्ष रूप से निर्धनता दूर कर प्रभावी ढ़ग से महिला विकास व सशक्तीकरण जैसे जटिल किन्तु महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है।

जब पूरी दक्षिण एशिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी तो यह रोजगार गारण्टी योजना का ही प्रभाव था कि भारत में इसका प्रभाव कम पड़ा क्योंकि साधारण महिला के पास भी रोजगार था। और वह जरूरत भर को सामान खरीदने की क्षमता रखती थी।

मनरेगा ने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही देश के आधे बेरोजगारों (महिलाओं) को कार्यशील बनाकर मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित किया और बहुत बड़े पैमाने पर गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन पर विराम लगाया। पर्यावरण संरक्षण में भी मनरेगा के योगदान को नकारा नहीं जा सकता जो धारणीय विकास की अवधारणा पर आधारित है।

कल तक गांव की सूखी वीरान गलियां, वंजर जमीन, धूल उड़ाती ऊबड़ खाबड़ पगडडियां और हतोत्साहित ग्रामीण महिलाओं के मुर्झाये चेहरे नजर आते थें। वहीं आज इन महिलाओं के दुगुने उत्साह और आत्म गौरव से लबालब देखा जा सकता है।

यह सच है कि मनरेगा ने महिलाओं को आगे बढ़ने व आत्म विश्वास पैदा करने में काफी मदद की है महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा में निरन्तर प्रगति जरूरी है। पर वास्तविकता यह है कि जब तक अन्य क्षेत्रों में भी सम्पूर्ण मानव आबादी के इस आधे भाग को नजरअंदाज किया जाता रहेगा विकसित भारत की संकल्पना बेमानी होगी।

और अन्त में हम कह सकते है कि मनरेगा सामाजिक न्याय की ऐसी अवधारणा है जिसके द्वारा गरीबी मिटाने, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, धारणीय विकास, ग्रामीण विकास, सूखा तथा बाढ़ से उबरने में मदद, पलायन रोकने और कृषि पर निर्भरता घटने के साथ–साथ महिलाओं में आत्म निर्भरता, आत्म विश्वास व स्वालम्बन बढ़ा है।

सन्दर्भ :

सेट्टी, ई0डी0 एण्ड मूर्ति, पी0 कृष्णा (2001), वूमेन इम्पावरमेंट थ्रु इंटरप्रन्युवरशिप डेवलपमेंट, अनमोल पब्लिकेशंस प्रा0 लि0, नई दिल्ली.

शर्मा, प्रेम नारायण एवं संजीव कुमार झा (2008), महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, भारत बुक सेंटर, लखनऊ.

कुमार, पंकज (2013), महिला सशक्तिकरण एवं उनके अधिकार, मानव अधिकार : नई दिशाएँ, वार्षिक, अंक–10, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली, पृ0 29–44.

कुमार, शशि (2013), महिला सशक्तिकरण एवं दलित महिलाओं की स्थिति : चुनौतियाँ एवं समाधान, मानव अधिकार : नई दिशाएँ, वार्षिक, अंक–10, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली, पृ0 21–28.

चौधरी, कृष्ण चन्द्र (2013), ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, कुरुक्षेत्र, वर्ष–59, अंक–10, अगस्त, पृ0 7–12.

कीर्तने, मनीषा (2012), स्त्रियों की स्थिति के संदर्भ में मानवाधिकार और सद्यस्थिति, रिसर्च जर्नल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेंट एण्ड सोशल साइंसेस, वा0–14, वर्ष–7, जून, पृ0 236–238.

कुमार, गौरव (2013), ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर एवं चुनौतियाँ, कुरुक्षेत्र, वर्ष–59, अंक–4, फरवरी, पृ0 3–7.

ड्रेज, जे0 (2004), इम्प्लायमेंट ए सोशल रिस्पांसिबिलिटी, दि हिन्दू, 22 नवम्बर.

गैरी, आर0 2009, दि राइट टू वर्क एण्ड दि रिडक्शन आफ पावर्टी : एन इकोनॉमिस्ट्स व्यू (मिमियो) इंस्टीट्यूट फार ह्मेन डेवलपमेंट (आई0एच0डी0), नई दिल्ली.

बासु, ए0के0 (2007), इम्पैक्ट ऑफ रूरल इम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स आन सीजनल लेबर मार्केट्स : आप्टिमम कंपन्सेशन एण्ड वर्कस वेलफेयर, कालेज ऑफ विलियम एण्ड मैरी, मिमियो.

बासु, ए0के0, नैंसी चाउ एण्ड रवि कुंबर (2005), दि नेशनल रूरल इम्प्लॉयमेंट गारण्टी एक्ट ऑफ इण्डिया, इंट्री फार दि ऑक्सफोर्ड चैम्पियन टू इकोनॉमिक्स इन इण्डिया

ड्रेज, जे0 एवं रितिका खेरा (2009), दि बैटल फॉर इम्प्लायमेंट गारण्टी, फ्रंटलाइन, वॉ0–26, इश्यू–1, जनवरी, पृ0 3–16.

घोष, अविजित (2006), जॉब स्कीम गेट्स फेमिनाइज्ड इन साउथ राजस्थान, टाइम्स ऑफ इण्डिया, 26 अप्रैल.

कटारिया, सुरेन्द्र (2009), आर्थिक मंदी से जूझने में नरेगा का योगदान, कुरुक्षेत्र, दिसम्बर, पृ0 9–13.

दैनिक जागरण, लखनऊ संस्करण, 23 मार्च, 2012.

भारत सरकार (2010), वार्षिक रिपोर्ट 2009–10, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

भारत सरकार (2012), रिपोर्ट टू दि पीपुल–2012, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

भारत सरकार (2012बी), एमजीनरेगा समीक्षा, मनरेगा सम्बन्धी अनुसंधान अध्ययनों का संकलन, अध्याय 2, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

भारत सरकार (2013), महात्मा गांधी नरेगा दिशा–निर्देश, चतुर्थ संस्करण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली. http://nrega.nic.in/netnrega/writereaddata/circulars/report_people_hindi_jan_2014.pdf